दिनांकः–08 मार्च, 2019 को आहूत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (Plastic Waste Manegment Rules, 2016) **के अर्न्तगत गठित राज्यस्तरीय सलाहकार समिति** (SLAC) **की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राज पत्र सं– G-S-R& 320 (E) दिनांक–18.03.2016 के द्वारा अधिसूचित PWM Rule 2016 के कंडिका– 16 में अंकित प्रावधानों के अधीन गठित राज्य स्तरीय के सलाहाकार समिति (SLAC) जो विभागीय अधिसूचना सं0–1586 दिनांक–05.07.2018 द्वारा अधिसूचित है उक्त **गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति** (SLAC) की **द्वितीय** बैठक दिनांक–08.03. 2019 को पूर्वाहन् 10:30 बजे विभागीय सभागार कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक मे निम्नलिखित पदाधिकारीयों ने भाग लिया :–

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।
2. विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।
3. विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार।
4. अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
5. अपर सचिव, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग, बिहार।
6. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि विकास, बिहार।
7. उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार।
8. वरीय वैज्ञानिक, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, बिहार।
9. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।
10. अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
11. विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।
12. उप नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम।
13. उप नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम।
14. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बोधगया एवं नगर परिषद फुलवारीशरीफ।
15. टीम लीडर, स्वच्छ भारत मिशन, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, बिहार।
16. टीम लीडर, एन.यू.एल.एम., स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, बिहार।
17. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, स्वच्छ भारत मिशन, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजेमेंट यूनिट, बिहार।
18. प्रतिनिधि, आगा खाँन फाउण्डेशन, बिहार।
19. प्रतिनिधि, प्लास्टिक संघ, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन।

बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया। अध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (PWM Rules, 2016) का PPT के माध्यम से समिति को प्रथम बैठक के अनुपालन के संबंध में जानकारी दी गई। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

कार्यवाही की मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. प्रधान सचिव महोदय द्वारा राज्य में **"बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मॉडल उपविधि, 2018"** को बिहार के सभी शहरी निकायों द्वारा अंगीकृत कर लेने की सूचना सभी सदस्यों को दी गई एवं अधिसूचना का प्रकाशन राज्य सरकार के ई–गजट में सभी 141 निकायों द्वारा अनुमोदित विनियमन का मुद्रण करा दिया गया है, जिसे ई–गजट के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

   (अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार)

2. निकाय स्तर पर दिनांक–23.12.2018 से नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन विनियमन, 2018 के रूप में क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इसमें किये गये सभी प्रावधानों को स्थानीय प्रशासन एवं निकाय के द्वारा प्रभावी ढँग से लागू कराया गया है।

   (अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार)

3. राज्य द्वारा लिये गये निर्णय, जिसमें प्रथम चरण में प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है, इसके तहत उपविधि में किये गये प्रावधान के अनुसार सभी निकायों ने आमजनों में किये गये प्रतिबंध के बारे में जानकारी एवं जन–जागरुकता के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक से बने कैरी बैग का प्रयोग बंद कर कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करने के लिए प्रचारित किया गया।

(अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार)

4. दिनांक–23.12.2018 से अब तक प्लास्टिक कैरी बैग पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध सभी शहरी निकायों में स्थानीय प्रशासन एवं निकाय के सिटी स्क्वॉड टीम के द्वारा लगातार छापेमारी एवं जब्ती की कार्रवाई की गई। अभी तक किये गये कार्रवाई की विवरणी निम्न है :–

(i) कुल छापेमारी की संख्या :– **72,267 (Shops & Establishment)**

(ii) कुल सामग्री जब्ती की संख्या (किग्रा. में) :– **5579.37 किग्रा.।**

(iii) कुल दण्ड एवं जुर्माने के रूप में वसूल की गयी राशि (रुपये में) :– **21,60,625 रु. (इक्कीस लाख साठ हजार छः सौ पच्चीस रुपये मात्र)।**

(iv) अन्य कार्रवाई :– **पाँच फैक्ट्री पर छापेमारी, जिसमें चार स्वतः बंद एवं एक के कच्चे सामग्री की जब्ती एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के साथ संयुक्त कार्रवाई।**

(अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार/SBM-PMU/MIS-Cell)

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बैठक में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबंध पर किये गये कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया एवं सुझाव दिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर पर्यावरण संरक्षण समिति गठित है। इनके प्रतिनिधियों को भी प्रतिबंध में शामिल कर और सशक्त किया जा सकता है। सभी नगर निकाय इसका अनुपालन करेंगे।

(अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार)

6. SLAC के अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचारोपरांत सुझाव दिया गया, जो निम्न हैं :–

(i) सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक खाद्य एवं पेय पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक/थर्मोकोल (Polystrene), डिस्पोजेबल कप, ग्लास चम्मच, कटोरी, फॉर्क, कंटेनर एवं स्ट्रॉव (पेय पाईप) आदि का कार्यालय स्तर पर उपयोग कम करने का सुझाव दिया गया।

(ii) पीने के पानी में प्रयोग होने वाले Single Use PET Plastic Bottle को भी प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया।

(iii) स्टेशनरी के रूप में प्लास्टिक फोल्डर, ट्रे इत्यादि के जगह पर कपड़े या जूट के बने सामग्री का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया एवं धीरे–धीरे इसे प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लेने का सुझाव दिया गया।

(iv) सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों एवं परिसरों में से निकलने वाले कचड़े को स्रोत पर ही पृथक्कीकरण (गीला एवं सूखा कचड़ा अलग–अलग) के प्रचलन एवं क्रियान्वयन आवश्यक करने का सुझाव दिया गया। इसके लिए कार्यालय में दो डस्टबीन (हरा एवं नीला) का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु सभी कार्यालय को सूचना भेजे जाने की सहमति दी गयी।

(v) पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर को भी Single Use Plastic को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए राज्य सरकार की तरफ से पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन :–सभी नगर निकाय बिहार)

7. Extended Producer Responsibility (EPR) के तहत सेवा देने वाले फर्म, पैकेजिंग के लिए 50 माईक्रोन से अधिक वाले प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, उनको Buy-back (दुबारा प्रयोग) के तहत

वापस लिये जाने के लिए प्रावधान है। राज्य में इस प्रकार के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य प्रदूषण समिति को ऐसे चिन्हित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने स्तर से एक बैठक कर प्लास्टिक पैकेजिंग मेटेरियल के Recycling की जिम्मेवारी तय की जाय।

(अनुपालन :–बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/सभी नगर निकाय/SBM-PMU)

8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग विभाग के साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए राज्य के संबंधित जिला औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जिससे निकाय से प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्टों का Recycling सुनिश्चित कराने के लिए संयंत्र लगाया जा सके। इस हेतु निकाय अपने स्तर से भी उद्योग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर जमीन की उपलब्धता के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(अनुपालन :–सभी नगर निकाय, बिहार/उद्योग विभाग, बिहार)

9. सदस्यों द्वारा प्रत्येक सप्ताह संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निकाय अपने स्तर से सिटी स्क्वॉड टीम एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध के लिए छापेमारी, जब्ती एवं जुर्माना की कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई।

(अनुपालन :–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी नगर निकाय)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। 1/4/2019

प्रधान, सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति।
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–03/वि0–18–12/2015 934 **न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–**03.4.19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित/राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति (SLAC) के सभी सदस्यों/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

1/4/2019

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–03/वि0–18–12/2015 934 **न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–**03.4.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विषेश सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/SBM, Team Leader State PMU/Team Leader, SPMG बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

1/4/2019

प्रधान सचिव।